म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

फोन नं. .+91-755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : .+91-755-2550498

प्री- एग्रीकल्चर टेस्ट (PAT) - 2025

परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र	
भरने की प्रारम्भ तिथि : **24/06/2025**	भरने की अंतिम तिथि : **08/07/2025**
आवेदन पत्र मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : **24/06/2025**	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : **13/07/2025**
परीक्षा दिनांक व दिन	**26/07/2025 शनिवार से प्रारंभ**
परीक्षा शुल्क	
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रू. **500/-**
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ्ड़ा वर्ग/ नि:शक्तजन एवं ई.डब्लू.एस. अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)	रू. **250/-**
ऑनलाईन आवेदन -कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 60/- देय होगा । रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रू. देय होगा ।	

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
26/07/2025 शनिवार से प्रारंभ	प्रथम	प्रात: 07:00- 08:00 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रात: 09:00 से 12:00 बजे तक (3:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 01:00- 02:00 बजे	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 03:00 से 06:00 बजे तक (3:00 घंटे)

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है ।
2. मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई **(UIDAI)** के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा । मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा ।
3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई. आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति / आधार नंबर / आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं |
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
6. परीक्षा कक्ष में डिवाईस इलेक्ट्रानिक यथा डिजिटल घडी मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति नहीं होगी ।
10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण **MPESB** द्वारा नहीं किया जाता हैं **|** अतः कम्प्युटर आधारित **online** परीक्षा मे उम्मीदवारो की पात्रता (**Eligibility**) पूर्णत प्रावधिक (Provisional) होगी **|**

म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

फोन नं. .+91-755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : .+91-755-2550498

प्री- एग्रीकल्चर टेस्ट (PAT) - 2025

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग प्रवेश नियम	03-19
2.	2	म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली एवं निर्देश	20-35
3.	3	परीक्षा का पाठ्यक्रम	36-46
4.	4	विभिन्न प्रमाण पत्रों के प्रारूप	47-63

अध्याय - 1

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पी.ए.टी.परीक्षा 2025: प्रवेश नियम

1.1 <u>सामान्य जानकारी:</u> ये नियम पी.ए.टी. परीक्षा प्रवेश नियम 2025 कहलायेगें, जो कि मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा जारी तथा म.प्र .कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा प्रकाशित किये गयें हैं वे निम्नलिखित पाठयक्रमों में प्रवेश हेतु लागू होगें:

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>पाठयक्रम</th><th>अवधि</th><th>प्रवेश स्थिति</th><th>प्रवेश हेतु योग्यता</th></tr>
<tr><td>1</td><td>बी.एस सी.
(आनर्स) कृषि</td><td>4 वर्ष</td><td>1. ज.ने.कृषि वि.वि., जबलपुर के अन्तर्गत जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजबासौदा (विदिशा), वारासिवनी (बालाघाट), पवारखेड़ा (होशंगाबाद), खुरई (सागर) एवं पन्ना
2. रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर, के अन्तर्गत ग्वालियर, इंदौर, सीहोर एवं खण्डवा</td><td rowspan="3">माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. की 10+2 की 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा निम्न विषयों सहित उत्तीर्ण
(अ) विज्ञान समूह- अर्थात भौतिकी, रसायन एवं निम्न में से कोई एक (1) गणित, (2) जीव विज्ञान (3) कृषि
अथवा
(ब) कृषि समूह
(1) कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित
(2) फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र एवं पशुपालन एवं कुक्कुट पालन के तत्व।
अथवा
(स) विज्ञान समूह- अर्थात जीव विज्ञान, रसायन एवं कृषि</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बी.एस सी.
(आनर्स) उद्यानिकी</td><td>4 वर्ष</td><td>1. ज.ने.कृषि वि.वि., जबलपुर के अन्तर्गत रहली (सागर) एवं छिन्दवाड़ा
2. रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर के अन्तर्गत मंदसौर</td></tr>
<tr><td>3</td><td>बी.एस सी.
(आनर्स) वानिकी</td><td>4 वर्ष</td><td>ज.ने.कृषि वि.वि., जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर</td></tr>
<tr><td>4</td><td>बी.टेक
(कृषि अभियांत्रिकी)</td><td>4 वर्ष</td><td>ज.ने.कृषि वि.वि., जबलपुर के अंतर्गत कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर</td><td>भौतिकी, रसायन एवं गणित, अंग्रेजी विषय के साथ</td></tr>
</table>

1.2 अर्हकारी योग्यता

1.2.1 इन चारों पाठयक्रमों की प्रवेश परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं, जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की 10+2 पद्धति की 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं या होने वाले हैं। किन्तु इन छात्रों का उपरोक्त पाठयक्रमों में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय अर्हकारी 10+2 पद्धति की 12 वी कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची प्रस्तुत करेगें। ऐसे आवेदक जो इस वर्ष की अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण न होकर बाद की किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वे प्रवेश के पात्र नहीं होगें, भले ही उन्होंने पी.ए.टी. की प्रावीण्य सूची में स्थान क्यों न प्राप्त कर लिया हो।

1.2.2 इन पाठयक्रमों में प्रवेश म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा जारी प्रावीण्यता सूची के आधार पर दिया जावेगा।

1.3 **उपलब्ध सीट एवं आरक्षण:**

1.3.1 चारों पाठयक्रमों में उपलब्ध सीटों एवं श्रेणीवार आरक्षण का विवरण तालिका में 1.1 (अ) एवं 1.1 (ब) पर है जिनमें किसी विद्यमान श्रेणी/वर्ग को जोड़ने अथवा घटाने का अधिकार मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग को होगा एवं इस प्रकार की सूचनाएं संचार माध्यमों के द्वारा सूचित की जावेगीं।

1.3.2 प्रत्येक महाविद्यालय में निम्नानुसार स्थानों का आरक्षण किया जावेगा।

1.3.2.1 मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पुत्रों/पुत्रियों के लिए क्रमश: 15, 21 एवं 27 प्रतिशत।

1.3.2.2 सभी आरक्षित वर्गों में मध्यप्रदेश में स्थायी कृषि में कार्यरत किसानों जिनकी जीविका पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है, के पुत्र/पुत्रियों के लिए 5 प्रतिशत होरीजोन्टल आरक्षण का प्रावधान होगा।

1.3.2.3 महिला उम्मीदवारों के लिए 33 प्रतिशत होरीजोन्टल आरक्षण रहेगा। यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 33 प्रतिशत महिलाएं न मिलें तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरूषों से की जावेगी।

1.3.2.4 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों/पौत्र/पौत्रियों,नाती/नातिन एवं भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से नि:शक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence Personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गो के निःशक्त श्रेणी के लिए संयुक्त रूप से 03 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के निम्न कर्मी/अधिकारी इस आरक्षण के पात्र होगे-

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित ।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित ।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित ।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से नि:शक्त हुए सैनिकों के आश्रित।
5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना,नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख ।
6. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित ।
7. कार्यरत सैनिकों के आश्रित ।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों/पौत्र/पौत्रियों, नाती/नातिन एवं भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से नि:शक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence Personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के नि:शक्त श्रेणी के लिए संयुक्त रूप से 03 प्रतिशत आवेदक उपलब्ध न होने पर उसी श्रेणी के सामान्य आवेदकों से भरे जावेंगे ।

1.3.2.5 दिव्यांग हेतु प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीट्स (होरीजोन्टल) प्रावीण्यता के आधार पर विकलांग / दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के उपबंधो के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएँगी यदि किसी श्रेणी विशेष में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटें, अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है तो इन सीटों को सम्बंधित श्रेणी के लिए स्वीकृत सीटों में शामिल कर लिया जायेगा ।

1.3.2.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) को भारत सरकार द्वारा 103 वें संविधान संशोधन, अधिनियम 2019 में दिये गये प्रावधान के अनुरूप मध्य प्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) जो संविधान के अनुच्छेद – 341 एवं 342 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-25-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा विर्निदिष्ट अन्य पिछ्ड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। प्रमाण-पत्र का प्रारूप 13 (अ) संलग्न है।

1.3.2.7 आरक्षित स्थानों पर प्रतिशत निकालते समय दाश्मिक अंक 0.5 या उससे अधिक होने पर एक तथा 0.5 से कम होने पर शून्य माना जावेगा।

1.3.2.8 आवेदक को उसकी श्रेणी के अन्तर्गत केवल एक वर्ग में ही उसके आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

1.3.2.9 आरक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में यदि पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हों, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के अभ्यर्थियों से की जावेगी। आरक्षित श्रेणी में बिना वर्ग के प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उनके रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा।

अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्त स्थान को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरे जावेगें। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थान को अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरे जावेगें। इन दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछ्ड़ी जाति के अभ्यर्थियों से भरा जावेगा। जब इन तीनों श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होगें तब रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरे जावेगें।

1.3.2.10 जिस श्रेणी/वर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है अभ्यर्थी को उससे संबंधित श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप अथवा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1.3.2.11 अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों में अंकित वर्ग, जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

1.4 पेमेन्ट सीटों पर प्रवेश

1.4.1 प्रत्येक पाठयक्रम में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त 20 प्रतिशत सीटों पर पेमेन्ट सीटों के रूप में प्रवेश दिया जावेगा। इन सीटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछ्ड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रमश: 15 प्रतिशत, 21 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेगीं।

1.4.2 विभिन्न संकायों में पेमेन्ट सीटों पर प्रवेश पी.ए.टी., परीक्षा की प्रावीण्यता / प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को दिया जावेगा।

1.4.3 किसी भी ऐसी पेमेन्ट सीट, जिसके लिए संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो ऐसी अवस्था में अनारक्षित वर्ग की सूची से नियमानुसार प्रवेश दिया जा सकेगा। किन्तु किसी भी छात्र को 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

1.5 <u>प्रमाण पत्र</u>

1.5.1. प्रवेश देने पर अभ्यर्थी के आवश्यक मूल अभिलेख/प्रमाण पत्र जाँच करने के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी को वापिस कर दिये जायेगें एवं सभी अभिलेखों के रंगीन स्वप्रमाणित/सत्यापित छायाप्रति महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कर लिये जावेगें।

1.5.2 प्रवेशित छात्र/छात्राओं को प्रवेश के समय विश्वविद्यालयों के नियमों के पालन हेतु निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.5.3 यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित प्रवेश पत्र में उल्लेखित दिनांक को महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित होकर छोड़ देता है अथवा संस्था प्रमुख को सूचित किए बिना लगातार 15 दिवस अनुपस्थित रहता है, तो उस सीट के लिए उसके सभी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जावेगें।

1.6 <u>पेमेन्ट सीट का वर्गीकरण:-</u>

1.6.1.(अ) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में शिक्षण सत्र 2025-2026 में पेमेन्ट सीटों का पाठयक्रम एवं आरक्षणवार वर्गीकरण निम्नानुसार होगा:

क्र.	पाठयक्रम	20% पेमेन्ट सीटों का वर्गीकरण										
		अनारक्षित (UR)			अनु. जाति (SC)		अनु.जनजाति (ST)		अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	योग
		X	F	PWD	X	F	X	F	X	F	EWS	
1	बी.एस सी., (आनर्स) कृषि	23	15	2	12	6	17	8	21	11	4	**119**
2	बी.एस सी., (आनर्स) उद्यानिकी	05	03	01	03	01	03	02	05	02	01	**26**
3	बी.एस सी., (आनर्स) वानिकी	01	01	00	01	00	01	00	01	01	00	**06**
4	बी.टेक कृषि अभियांत्रिकी	03	02	00	01	01	02	01	03	01	01	**15**

1.6.1 (ब) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में शिक्षण सत्र 2025-2026 में पेमेन्ट सीटों का पाठ्यक्रम एवं आरक्षणवार वर्गीकरण निम्नानुसार होगा:

क्र.	पाठयक्रम	20% पेमेन्ट सीटों का वर्गीकरण										
		अनारक्षित (UR)			अनु. जाति (SC)		अनु. जनजाति (ST)		अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	योग
		X	F	PWD	X	F	X	F	X	F	EWS	
1	बी.एस सी. (आनर्स) कृषि	13	8	1	7	3	10	4	12	5	3	**66**
2	बी.एस सी. (आनर्स) उद्यानिकी	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	**13**

1.6.2 अनारक्षित श्रेणी की पेमेन्ट सीट पर प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं होगा, परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित श्रेणी की PWD एवं EWS की पेमेन्ट सीट पर प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।

1.6.3 पेमेन्ट सीट के तहत प्रवेश की अंतिम तिथियों की सूचना संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों के वेब पोर्टल के साथ-साथ लोकप्रिय संचार माध्यमों के द्वारा प्रसारित की जावेगी।

1.6.4 प्रत्येक श्रेणी की पेमेन्ट सीट में महिला अभ्यर्थियों के लिए 33 प्रतिशत होरिजेण्टल आरक्षण रखा जाएगा। पात्र महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने पर उसी श्रेणी के पुरूष अभ्यर्थियों से स्थान भरे जा सकेंगे।

1.7 <u>एन.आर.आई.वर्ग हेतु आरक्षण:</u>

1.7.1 प्रत्येक पाठयक्रम में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त 5 प्रतिशत सीटें एन.आर.आई. हेतु आरक्षित होगीं। इन सीटों पर संबंधित पाठयक्रमों में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को 20 मई, 2025 अथवा उसके पूर्व ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर या राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन करना होगा।

1.7.2 10+2 प्रणाली की 12 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है तथा इनकी अंकसूची संलग्न करना भी अनिवार्य है।

1.7.3 एन.आर.आई. प्रमाण पत्र प्रारूप-10 अथवा विदेश में स्थित भारतीय राजनयिक मिशन अथवा चांस्लरी से अथवा कमीशन से इस आशय का प्रमाण पत्र कि अभ्यर्थी के पिता/माता उस देश में अप्रवासी भारतीय है।

1.7.4 एन.आर.आई. कोटे के अन्तर्गत उपलब्ध सीटों का विश्वविद्यालयों द्वारा कम से कम दो बार राष्ट्रीय स्तर के हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापित करने के पश्चात भी सीटें रिक्त रहने पर एन.आर.आई. सीटें स्वत: ही पेमेंट सीटों में परिवर्तित हो जायेंगी। प्रथम विज्ञापन माह अप्रैल 2025 में जारी करना होगा। इनकी सूचना दिल्ली स्थित दूतावासों को भी देना होगी।

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्तर्गत महाविद्यालय एवं वर्गवार सीटों का विवरण निम्नानुसार होगा: सत्र 2025-26

तालिका 1.1(अ)

बी.एस सी.(आनर्स) कृषि / उद्यानिकी/वानिकी (आनर्स) /बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी)

महाविद्यालय का नाम	अनारक्षित (यू.आर)					अनु.जाति (एस.सी.) 15%					अनु. जनजाति (एस.टी.) 21%					अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) 27%					योग						महा योग
बी.एस सी. (आनर्स) कृषि	X	F	FF/S	PWD	EWS	X	F	K	FF/S	PWD	X	F	K	FF/S	PWD	X	F	K	FF/S	PWD	X	F	K	FF/S	PWD	EWS	
जबलपुर	14	10	0	1	3	6	4	1	0	1	9	5	1	0	1	11	7	1	1S	1	40	26	3	1	4	3	77
रीवा	14	9	1FF	1	3	6	4	1	0	1	9	5	1	0	1	11	7	1	1F	1	40	25	3	2	4	3	77
टीकमगढ़	14	9	1S	1	3	6	4	1	0	1	9	5	1	0	1	11	7	1	1S	1	40	25	3	2	4	3	77
गंजबासौदा (विदिशा)	14	9	1FF	1	3	6	4	0	0	1	9	5	1	1S	1	11	7	1	1F	1	40	25	2	3	4	3	77
वारासिवनी (बालाघाट)	14	9	1S	1	3	6	4	0	1F	0	9	5	1	1F	1	11	7	1	1S	1	40	25	2	4	3	3	77
पवारखेडा (होशंगाबाद)	14	9	0	2	3	6	3	1	1S	0	9	6	1	1S	1	11	7	1	0	1	40	25	3	2	4	3	77
खुरई (सागर)	12	9	1FF	2	2	6	3	0	0	0	7	5	0	1F	0	10	6	1	0	1	35	23	1	2	3	2	66
पन्ना	12	9	1S	2	2	6	3	1	1F	0	7	5	0	0	0	10	5	1	0	1	35	22	2	2	3	2	66
योग	**108**	**73**	**3/3**	**11**	**22**	**48**	**29**	**5**	**2/1**	**4**	**68**	**41**	**6**	**2/2**	**6**	**86**	**53**	**8**	**2/3**	**8**	**310**	**196**	**19**	**18**	**29**	**22**	**594**
बी.एस सी. (आनर्स) उद्यानिकी रहली	12	08	1S	1	2	5	3	1	0	1	8	4	0	1FF	1	9	6	1	1S	1	34	21	2	3	4	2	**66**
बी.एस सी. (आनर्स) उद्यानिकी छिन्दवाड़ा	12	8	1FF	1	2	6	3	0	1S	0	8	4	1	0	1	10	6	1	0	1	34	21	3	2	4	2	**66**
योग	**24**	**16**	**1/1**	**2**	**4**	**11**	**6**	**1**	0/1	**1**	**16**	**8**	**1**	**1/**0	**2**	**19**	**12**	**2**	0/1	**2**	**68**	**42**	**5**	**5**	**8**	**4**	**132**
बी.एस सी. (आनर्स) वानिकी, जबलपुर	5	3	0	1	1	3	1	0	0	0	4	2	0	0	0	5	3	0	0	0	17	9	0	0	1	1	**28**
योग	**5**	**3**	**0**	**1**	**1**	**3**	**1**	**0**	**0**	**0**	**4**	**2**	**0**	**0**	**0**	**5**	**3**	**0**	**0**	**0**	**17**	**9**	**0**	**0**	**1**	**1**	**28**
बी.टेक कृषि अभियांत्रिकी जबलपुर	14	9	1FF	1	3	6	4	1	0	1	9	5	1	0	1	11	7	1	1S	1	40	25	3	2	4	3	**77**
योग	**14**	**9**	**1/0**	**1**	**3**	**6**	**4**	**1**	**0**	**1**	**9**	**5**	**1**	**0**	**1**	**11**	**7**	**1**	**0/1**	**1**	**40**	**25**	**3**	**2**	**4**	**3**	**77**

Note: वर्ग: F= महिला, K= कृषक, FF/S= स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी /सैनिक, EWS=Economically Weaker Section, PWD=दिव्यांग, X= इन पांचो मे से कोई नहीं अर्थात बिना संवर्ग।

***टीप:** प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर के विद्यार्थियों को बी.एस सी. (आनर्स) कृषि में 02 सीटों पर प्रवेश दिया जायेगा.

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अन्तर्गत महाविद्यालय एवं वर्गवार सीटों का विवरण निम्नानुसार होगा: सत्र 2025-26

तालिका 1.1 (ब)

बी.एस सी. (आनर्स) कृषि /उद्यानिकी

महाविद्यालय का नाम	अनारक्षित (यू.आर)					अनु.जाति (एस.सी.) 15%					अनु. जनजाति (एस.टी.) 21%					अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) 27%					योग						महा योग
बी.एस सी. (आनर्स) कृषि	X	F	FF/S	PWD	EWS	X	F	K	FF/S	PWD	X	F	K	FF/S	PWD	X	F	K	FF/ S	PWD	X	F	K	FF/S	PWD	EWS	
ग्वालियर	18	9	1FF	1	3	7	5	1	0	1	10	6	1	1FF	1	13	8	1	1FF	1	48	28	2	3/0	4	3	**88***
इन्दौर	18	9	1FF	2	3	7	4	1	1FF	1	10	6	0	0	1	13	8	1	1S	1	48	27	2	2/1	5	3	**88**
सीहोर	18	9	1S	1	3	7	4	1	1FF	1	10	6	1	1S	1	12	8	1	1FF	1	47	27	3	2/2	4	3	**88**
खण्डवा	12	9	1FF	1	3	5	3	0	0	0	7	5	1	0	1	10	6	1	0	1	34	23	2	1/0	3	3	**66**
योग	**66**	**36**	**3/1**	**5**	**12**	**26**	**16**	**3**	**2/0**	**3**	**37**	**23**	**3**	**1/1**	**4**	**48**	**30**	**4**	**2/1**	**4**	**177**	**105**	**9**	**8/3**	**16**	**12**	**330**
बी.एस सी. (आनर्स) उद्यानिकी मंदसौर	**12**	**9**	**1FF**	**1**	**3**	**5**	**3**	**0**	**0**	**0**	**7**	**5**	**1**	**0**	**1**	**10**	**6**	**1**	**0**	**1**	**34**	**23**	**2**	**1/0**	**3**	**3**	**66**

Note: वर्ग: F= महिला, K= कृषक, FF/S= स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी /सैनिक, EWS=Economically Weaker Section, PWD=दिव्यांग, X= इन पांचो मे से कोई नहीं अर्थात बिना संवर्ग।

***टीप:** प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर के विद्यार्थियों को बी.एस सी. (आनर्स) कृषि में 02 सीटों पर प्रवेश दिया जायेगा।

1.8 **शारीरिक योग्यता:** केवल बी.एस सी. (आनर्स) वानिकी पाठयक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्याशियों को प्रवेश के पूर्व निम्नानुसार शारीरिक स्तर प्राप्त करना आवश्यक है।

(i) Height= 163 cms
(ii) Chest girth fully expanded 84 cms Chest expansion 5 cms

Note: The minimum height limit in case of Gorkhas, Nepalis, Garhwalis, Kumaoni and people of Manipur, Tripura, Sikkim, NEFA, Laddakh & Bhutan is fixed at 152.5 cms

Preference: Candidates who have passed "B" or "C" certificate of NCC.

1.8.1 **स्वास्थ्य अर्हता:** सभी स्नातक उपाधि के लिए चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सहायक शल्य चिकित्सक/सहायक भेषज अधिकारी या कृषि विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी का मान्य होगा।

1.8.2 आयु सीमा: सभी स्नातक उपाधि के लिए प्रवेश हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

1.8.3 बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा में सभी पाठ्यक्रमों के लिए 12 वीं की परीक्षा में न्यूनतम अंक का बंधन नहीं हैं

1.8.4 <u>**वास्तविक निवासी की शर्ते:**</u> पाठयक्रम की सीटों पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केवल ऐसे अभ्यर्थी को ही प्रवेश की पात्रता होगी:

1. जो भारत का नागरिक हो।

2. (क) जिसनें विगत 05 (पांच) वर्षो की अवधि में मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो (प्रमाण पत्र प्रारूप-5)।

अथवा

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हो

(प्रमाण पत्र प्रारूप-6)।

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो:

अथवा

(1) मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी। (प्रमाण पत्र प्रारूप-7)

अथवा

(2) केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना का कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी सम्मिलित है) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 1 जनवरी 2025 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो (प्रमाण पत्र प्रारूप-8)।

अथवा

(3) ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में स्थायी रूप से बस गया हो (प्रमाण पत्र प्रारूप-9)।

स्पष्टीकरण-1: मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी: अभ्यर्थी मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी तभी माना जावेगा जब वह नीचे दी गई दोनों शर्तो (अ) एवं (ब) की पूर्ति करेगा।

(अ) वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो।

अथवा

अभ्यर्थी स्वयं या उसका पिता या माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि पिता/माता दोनों जीवित न हो तो उसका वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर 15 वर्ष से रह रहा/रही हो अथवा अभ्यर्थी स्वयं अथवा उसका पिता/माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि पिता/माता दोनों जीवित न हो तो उसका वैध अभिभावक परीक्षा के वर्ष के पहले कम से कम पांच वर्ष से मध्यप्रदेश में कोई व्यवसाय अथवा व्यापार कर रहा हो अथवा कोई अचल संपत्ति रखता हो।

(ब) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक अध्ययन किया हो, जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से आठवीं कक्षा 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र (प्रारूप-6 के अनुसार) संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण-2 (अभिभावक): किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दण्डाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाषय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-3 (दत्तक पुत्र/पुत्री): यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/ महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/बी.एससी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षो से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण-पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अन्तर्गत प्रवेश की पात्रता के लिए ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में जो आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिए जाने के पूर्व भी क्रमश: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के ही रहे हों।

ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हो तथा उन्हें किन्ही अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्तियो ने गोद लिया हो, अनुसूचित जाति एवं जन जाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होगें।

1.8.5 अनुसूचित जाति (एस.सी.) तथा अनुसूचित जन जाति (एस.टी.) श्रेणी:

(अ) आवेदक को इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप 2 अथवा म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, और

(ब) निर्धारित प्रारूप 1 में आवेदक अपने पिता का और पिता जीवित न हो तो माता का और यदि माता-पिता दोनों जीवित न हो तो वैध अभिभावक का शपथ-पत्र (विवाहित लड़की के संबंध में यह शपथ-पत्र उसके पति द्वारा) प्रस्तुत किया जाना होगा।

यदि ऐसा शपथ-पत्र किसी प्रकार से झूठा या गलत पाया गया तो अभ्यर्थी का प्रवेश संबंधी दावा अस्वीकार कर दिया जावेगा या यदि उसने प्रवेश पा लिया है तो उसे निरस्त कर दिया जावेगा।

1.8.6 **(अ) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी (एफ एफ) श्रेणी:** सभी स्नातक उपाधि कार्यक्रम की समस्त श्रेणियों में प्रवेश हेतु 3 प्रतिशत स्थान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के उन पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों, नाती/नातिन के लिए आरक्षित है जो नियम 1.8.4. के अन्तर्गत म.प्र. के वास्तविक निवासी होने की शर्तें पूरी करते हैं। नियम के प्रयोजन के लिए स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों से तात्पर्य यह है कि उसका नाम म.प्र. के संबंधित जिले के कलेक्ट्रेट में रखी गयी सूची में पंजीकृत है।

टिप्पणी: स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के अन्तर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को म.प्र. के संबंधित जिले के कलेक्टर से निर्धारित प्रारूप-4 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया यह प्रमाण-पत्र ही अभ्यर्थी का इस श्रेणी का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण होगा। (प्रमाण पत्र प्रारुप-4)

1.8.6 **(ब) सैनिक वर्ग (एस):** सैनिक वर्ग (एस) में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रुप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रुप से विकलांग हो गये हो इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले अभ्यर्थी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरुप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक सबंधी प्रमाण-पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारुप-12 भाग-अ में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रारुप-13 में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला-सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होगे।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है। (प्रमाण पत्र प्रारुप-12 भाग-ब) अभ्यर्थी को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारुप-8 में प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

वह 1 जनवरी, 2025 का अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है। (प्रमाण पत्र प्रारुप 12 भाग-ब)

टिप्पणीः- सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा (प्रपत्र-नमूना क्रमांक 12 अ,ब, एवं 13 संलग्न)

1.8.7 म.प्र. में रहने वाले ऐसे किसानों के पुत्र तथा पुत्री जो कि कृषि में स्थायी रूप से कार्यरत् है तथा जिनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर आधारित हो, के लिए प्रत्येक आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत 5 प्रतिशत होरीजोन्टल आरक्षण होगा।

(क) इस वर्ग के अभ्यर्थियो को आरक्षण का लाभ कृषकों के उन पुत्र/पुत्रियों को प्राप्त होगा जिन्होने प्राथमिक (कक्षा पांचवीं), माध्यमिक (आठवीं), मैट्रिक/हाई स्कूल (दसवीं) तथा उच्चतर माध्यमिक (बारहवीं) में से कोई दो कक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र की शाला से नियमित छात्र के रूप में अध्ययन किया हो। इस संबंध में स्वाध्यायी छात्रों के लिए यह आवश्यक होगा कि उन्होने ग्रामीण क्षेत्रों के परीक्षा केन्द्रों से उपरोक्त मे से कोई दो परीक्षाएं उत्तीर्ण की हो।

(ख) शाला का ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत होना प्रमाणित करने के लिए तहसीलदार अथवा विकासखण्ड अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप-11 में प्रदत्त प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

1.9. **पी.ए.टी. 2025 में समान कुलांक पाने वाले परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता:** समान परसेंटाइल पाने वाले परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर निर्धारित की जायेगी। इस हेतु पी.ए.टी. 2025 के पाठयक्रमों के लिए विषयों को निम्नलिखित महत्ता क्रम दिया गया है:

1.9.1 बी.एससी. (आनर्स) कृषि/उद्यानिकी/वानिकी

(अ) 1. कृषि 2. जीव विज्ञान 3. रसायन 4. भौतिकी 5. गणित

(ब) 1. कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के तत्व

2. फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र

3. पशुपालन एवं कुक्कुट पालन के तत्व

(स) जीव विज्ञान, रसायन एवं कृषि

समान परसेंटाइल होने पर पारस्परिक वरीयता का निर्धारण (ब), (स),(अ) के क्रमानुसार रहेगा |

1.9.2 बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी): 1. गणित 2. भौतिकी 3. रसायन

1.10 **प्रावीण्य सूची घोषित करने की विधि:**

1.10.1 सभी पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का चयन योग्यता के आधार पर होगा। म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में पाठयक्रमों से संबंधित विषय समूहों में परीक्षार्थी के प्राप्तांकों के आधार पर पाठयक्रमानुसार एवं श्रेणीवार/वर्गवार प्रावीण्य सूचियां बनाई जावेगी।

1.10.2 (अ) आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को जिनके प्राप्तांक अनारक्षित श्रेणी के सफल अन्तिम अभ्यर्थी से अधिक हो उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाकर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में प्रवेश दिया जावेगा एवं उतनी संख्या में अनारक्षित श्रेणी के अन्तिम प्रवेशित अभ्यर्थियों को मेरिट सूची से हटा दिया जायेगा। आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत उतना रिक्त माना जायेगा। परन्तु यह विभिन्न श्रेणियों में होरीजेन्टल आरक्षण के अन्तर्गत वर्गो में लागू नहीं होगा।

(ब) आरक्षित श्रेणी/वर्ग के जिन अभ्यर्थियों को सामान्य बिना संवर्ग श्रेणी में प्रवेश प्राप्त हो रहा है, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(स) यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 33 प्रतिशत महिलाएं न मिलें तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरूषों से जायेगी।

1.10.3 महाविद्यालयों में प्रवेश मेरिट एवं विकल्प के आधार पर काउन्सिलिंग/आवंटन पद्धति के द्वारा किया जावेगा। रिक्त फ्री सीट, पेमेन्ट सीट एवं एन.आर.आई सीट पर ही विश्वविद्यालयों द्वारा गठित समिति के द्वारा काउन्सिलिंग की जावेगी।

1.10.4 कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र जुलाई, 2025 से प्रारम्भ होगा तथा प्रवेश 30.09.2025 तक दिये जायेगें। उसके पश्चात प्रतीक्षा सूची स्वतः समाप्त मानी जावेगी। प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रहने पर प्रतीक्षा सूची की वैधता राज्य शासन की स्वीकृति से बढ़ाई जा सकेगी।

1.10.5 म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा जारी प्रावीण्य सूचियों के आधार पर विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता आवेदकों को अस्थायी प्रवेश प्रदान करेंगें। प्रवेश के लिए आवेदक को पाठयक्रम से संबंधित प्रवेश नियमों में उल्लेखित योग्यता/अर्हता/शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्रों में उल्लेखित विवरणों की पुष्टि हेतु आवश्यक मूल प्रमाण-पत्र प्रवेश दी गयी संस्था में प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने होंगे। प्रमाण पत्रों के निर्धारित प्रारूप इस नियम पुस्तिका में दिये गये हैं।

1.10.6 बी.टेक (कृषि अभियांत्रिकी) पाठयक्रम में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है या हो जाती है तो राज्य शासन की स्वीकृति से भरने का अधिकार संबंधित विश्वविद्यालय को होगा।

1.11 **प्रमाण पत्रों का प्रवेश के समय प्रस्तुतीकरण:** आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरणों की पुष्टि हेतु आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें। आवश्यक प्रमाण पत्रों को प्रवेश दी गयी संस्था में प्रवेश के

समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने होगें। प्रमाण पत्रों के निर्धारण प्रारूप इस नियम पुस्तिका में दिये गये हैं। म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में भी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा झूठी/गलत जानकारी के आधार पर अथवा कुछ तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाया गया है अथवा प्रवेश पश्चात कभी भी यह पता चलता है कि आवेदक को किसी त्रुटि अथवा भूलवश प्रवेश दे दिया गया था, तो संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख अथवा म.प्र. कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आवेदक के प्रवेश को उस पाठयक्रम की अवधि के दौरान कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश नियमों से संबंधित सभी नीति विषयक प्रश्नो को निपटाने हेतु म.प्र., किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सर्वोच्च निर्णायक होगा।

यदि प्रवेश नियमों के स्पष्टीकरण/ व्याख्या से संबंधित कोई विवाद खड़ा होता है तो उस निर्णय हेतु मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को संदर्भित किया जावेगा जिस पर विभाग का निर्णय अन्तिम होगा। प्रवेश नियमों में संशोधन के अधिकार मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को है। प्रवेश नियमों में प्रवेश हेतु सीटों की संख्या,प्रवेश हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं शुल्क आदि के सबंध में निर्णय लेने का अधिकार किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को है तथा इस संबंध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

1.12 शिक्षण शुल्क की जानकारी

1.12.1 पी.ए.टी. के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में कृषि, वानिकी एवं उद्यानिकी तथा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में कृषि एवं उद्यानिकी में प्रवेश लेने वाले छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क का विवरण निम्नानुसार है :

शुल्क का विवरण (प्रति सेमेस्टर)

(राशि रूपये)

क्रमांक	शुल्क का विवरण*	रा.वि.सि.कृ.वि.वि, ग्वालियर	ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर	
		कृषि/उद्यानिकी	कृषि/वानिकी/उद्यानिकी	कृषि अभियांत्रिकी
1	शिक्षण शुल्क	9515	9515	11860
2	चिकित्सा शुल्क	490	540	540
3	खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधि शुल्क	735	1100	1100
4	परीक्षा शुल्क	735	810	810
5	महाविद्यालय समामेलन शुल्क	385	425	425
6	प्रयोगशाला शुल्क	485	485	485
7	पुस्तकालय शुल्क	735	735	735
8	आवेदन शुल्क	580	640	640
9	नामांकन शुल्क	485	535	535
10	उपाधि/डिप्लोमा	865	955	955
11	कॉलेज कॉशन शुल्क	935	1030	1030
12	पुस्तकालय कॉशन शुल्क	935	1030	1030
13	कोर्स कार्रिकुलम	185	205	205
14	शैक्षणिक नियम पुस्तिका	90	100	100
15	रेडक्रॉस योगदान	-	-	-
16	विद्यार्थी बीमा शुल्क	प्रावधान अनुसार	प्रावधान अनुसार	प्रावधान अनुसार
17	कृषि विश्व/विजय पत्रिका	150	165	165
18	महाविद्यालय पत्रिका	185	205	205
19	विद्यार्थी सहायता	185	205	205
20	पेमेन्ट सीट हेतु शिक्षण शुल्क	35695	35700	47590
21	एन.आर.आई. हेतु शिक्षण शुल्क (वार्षिक शुल्क)	$ 2385 p.a.	$ 2385 p.a.	$ 2385 p.a.

*छात्रावासीय शुल्क उक्त विवरण में शामिल नहीं है। वह छात्रावासीय सुविधा लेने पर पृथक से देय होगा।

1.12.2 कृषि अभियान्त्रिकी में प्रवेश लेने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों से शुल्क का विवरण 1.12.1 की तालिका में दर्शाया गया है।

1.12.3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति तथा पिछडा वर्ग के छात्रों को म.प्र. शासन द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित पात्रतानुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।

1.12.4 सामान्य निर्धन वर्ग के छात्रों को विक्रमादित्य योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित पात्रतानुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।

1.13 स्वास्थ्य संबंधी कारणों को विशेष प्रकरण मानते हुये अंतर विश्वविद्यालय में छात्रों के स्थानांतरण का प्रावधान रहेगा।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (म.प्र.)

पी.ए.टी. 2025 प्रवेश नियम:

2.13 सामान्य जानकारी: ये नियम प्रवेश नियम 2025 कहलायेगे, जो कि मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा जारी तथा मंडल द्वारा प्रकाशित किये गए हैं. बी.एस.सी.(कृषि) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु लागू होगे:

क्र.	पाठ्यक्रम	अवधि	प्रवेश हेतु	प्रवेश हेतु योग्यता
1.	बी.एस सी.(कृषि)	04 वर्ष	महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (म.प्र.)	माध्यमिक शिक्षा मंडल (म.प्र.) की 10+2 की 12 वी या समकक्ष परीक्षा निम्न विषयो सहित उत्तीर्ण (अ) विज्ञान समूह- अर्थात भौतिक, रसायन एवं निम्न में से कोई एक विषय (1) गणित (2) जीव विज्ञान अथवा (ब) कृषि समूह (1) कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित (2) फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र एवं पशुपालन एवं कुक्कुट पालन के तत्व

2.14 अर्हकारी योग्यता :

2.14.1 बी.एस सी.(कृषि) पाठ्यक्रमो की प्रवेश परीक्षा में वे छात्र भी सम्मिलित हो सकते है जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10+2 की 12वी कक्षा या समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो चुके है या होने वाले है. किन्तु इन छात्रों को उपरोक्त पाठ्यक्रमो में प्रवेश हेतु चयन तभी मान्य होगा जब वे प्रवेश के समय अर्हकारी 10+2 की 12 वी कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची प्रस्तुत करेगे. ऐसे आवेदक जो इस वर्ष की अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण न होकर बाद की किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते है, वे प्रवेश के पात्र नहीं होगे, भले ही उन्होंने पी.ए.टी. की प्रवीणता सूची में स्थान क्यों न प्राप्त कर लिया हो।

2.14.2 बी.एस सी.(कृषि) में प्रवेश मंडल द्वारा जारी मेरिट सूची के आधार पर दिया जायेगा।

2.15 उपलब्ध सीट एवं आरक्षण :

2.15.1 बी.एस सी.(कृषि) में उपलब्ध सीटो एवं श्रेणीवार आरक्षण का विवरण तालिका 2.1 (ब) में अंकित है जो म.प्र. शासन द्वारा संस्तुत नियमों के आधार पर बनायीं गई है तथा उनमे प्रवेश शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार ही देय होगा।

2.16 प्रमाण पत्र :

2.16.1 प्रवेश देने पर उम्मीदवार के वांछित प्रमाणपत्र एवं मूल अभिलेख विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के द्वारा जमा करा लिए जायेगे तथा उसे इस आशय का प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय/संकाय द्वारा दिया जायेगा. मूल दस्तावेज अध्ययन पूर्ण करने अथवा आवंटी द्वारा प्रवेशित सीट छोड़ने की स्थित में ही लौटाए जायेगे।

2.16.2 प्रवेशित छात्र/छात्राओ के प्रवेश के समय विश्वविद्यालय के नियमों के पालन हेतु निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.16.3 यदि कोई उम्मीदवार आवंटित प्रवेश पत्र में उल्लेखित दिनांक को विश्वविद्यालय/संकाय में उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित होकर छोड़ देता है अथवा संस्था प्रमुख को सूचित किये बिना लगातार 15 दिवस अनुपस्थित रहता है तो उस सीट के लिए उसके सभी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जायेगे।

2.17 शिक्षण शुल्क की जानकारी:

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना में पी.ए.टी. के माध्यम से कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों से फ्री सीट एवं पेमेंट सीट हेतु क्रमशः 17635/- व 37335/- शुल्क प्रति वर्ष अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

आरक्षण तालिका 2.1 (ब)

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.)

बी.एस सी.(कृषि)

पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटो का विवरण निम्नानुसार होगा

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट	फ्री सीटों का वर्गीकरण																		
बी.एस सी. (कृषि)	खुली स्पर्धा सामान्य				अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			FF/PH	योग				महा योग
	X	EWS	F	EWS	X	F	K	X	F	K	X	F	K		X	F	K	FF/PH	80
	25	03	11	01	07	04	01	09	05	01	07	03	01	02	51	24	03	02	

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट	पेमेन्ट सीटों का वर्गीकरण														
बी.एस सी. (कृषि)	खुली स्पर्धा सामान्य				अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		FF/PH	योग			महा योग
	X	EWS	F	EWS	X	F	X	F	X	F		X	F	FF/PH	40
	13	01	05	01	04	02	05	02	04	02	01	27	12	01	

टीप:

1. उपरोक्त आरक्षण तालिका मध्यप्रदेश शासन द्वारा संस्तुत नियमों के आधार पर बनायी गयी हैं।
2. पेमेंट सीटों के तहत प्रवेश हेतु उम्मीदवार को मध्यप्रदेश शासन का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है।
3. सामान्य निर्धन वर्ग के छात्रों को विक्रमादित्य योजना के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार शिक्षण शुल्क माफ़ किया जायेगा।
4. अ.जा., अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को राज्य शासन के नियमानुसार शुल्क प्राप्त की जाएगी।
5. आरक्षण तालिका में नियमानुसार ई.डब्लू.एस. की सीटों को आरक्षित किया गया हैं।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल

अध्याय-2

म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

2.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। **अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभॉति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।**

(ii) **विभागीय नियमावली एवं अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी ।**

(iii) **सीट्स की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।**

(iv) **अभ्यथी के परीक्षा केन्द्र/तिथि परिवर्तन के आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे**

2.2 (i) <u>आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें काउसलिंग की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये</u>।

(ii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन/प्रवेश के समय संबंधित विभाग/संस्था द्वारा किया जायेगा।

(iv) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी दी गई है अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

(v) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

(i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।

(ii) बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)

(iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य, यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone,Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, sun glasses Scales and whitener इत्यादि पूर्णत: वर्जित है।

2.5 लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी ई बी के आदेश क्रमांक पी ई बी / प-1 / 712 / 2020 भोपाल दिनाक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) नि:शक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से नि:शक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी | किन्तु दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी | सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) की सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित MPESB कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ताकि MPESB स्तर पर नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके| आपरिहर्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी |

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अहर्ता/प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए | उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकण्ड्री होना चाहिए ।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनिट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनिट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा |

2.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र MPESB की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

2.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) ई.एस.बी. की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, **बाये हाथ के अंगूठे का निशान** तथा हस्तलिपि (बाल पांईट पेन से) अंकित करना होगी।

(iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.8 मूल्यांकन पद्धति:-

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।
2. वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा के अंत में अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की अंकित संख्या Raw Score के रूप में प्रदर्शित करने का प्रावधान है | परीक्षा की पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रक्रिया में संशोधन किया गया है | जिसमे Raw Score (सही प्रश्नों की संख्या) प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कंप्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान किया गया है | अभ्यर्थी द्वारा अंकित Raw Score (सही प्रश्नों की संख्या) एवं प्रदर्शित Raw Score के सामान होने पर सबमिट किया जा सकेगा |

2.9 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियॉ आहूत की जाती है तद्नुसार विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है।

A. निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :-

(i) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iii) कोई भी विकल्प सही न हो।

(iv) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(v) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।

B. हिन्दी तथा अंग्रेज़ी पाठ में समानता नहीं है (समस्त प्रश्न पत्रों के लिए हिंदी पाठ को मानक माना जाएगा | सिवाय विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के प्रश्नपत्र, जहाँ पर अंग्रेज़ी पाठ को मानक माना जाएगा) |

C. प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में ई.एस.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

<u>उदाहरण 01</u> :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100-2)} = 91.83$$

<u>उदाहरण 02</u> :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150-2)} = 141.89$$

<u>उदाहरण 03</u> :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200-2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2.9 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजशन पद्धति :–

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के आदेश क्र. ईएसबी/29/16/2021/ई-1/1040/2025, दिनांक 13/02/2025 के अनुसार मंडल द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है, उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मलाईजेशन पद्धति से तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है :-

- ऐसी परीक्षा जिनका आयोजन एक चरण में तथा एक से अधिक पालियों में किया जाता है अथवा ऐसे पद/पाठ्यक्रम जिनमें एक से अधिक विषय के प्रश्न-पत्र देने वाले आवेदक पात्र होते हैं।
- ऐसी परीक्षाएँ जिनका आयोजन बहुचरण में जैसे कि Police Constable Recruitment Test में प्रथम चरण में ई.एस.बी. द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन एवं संबंधित विभाग द्वारा भौतिक परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन किया जाता है।

उपरोक्त दोनों प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने हेतु मंडल के आदेश क्रं. 11-80/2013/08/पी-2/625/2025, दिनांक 24/01/2025 से गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार Normalised Equi-Percentile (NEP) scaling technique एवं निम्न सूत्रों से परीक्षा परिणाम तैयार किये जायेंगे :-

(a) एक चरणीय (Single-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

$$P_{ij} = \frac{No.of\ candidates\ in\ shift\ (j)\ having\ proportionate\ scores \leq X_{ij}}{N_j} \text{x}100$$

- **shifts** be denoted as $S_1, S_2, ... S_K$.
- number of **candidates** appearing in each shift be denoted by $N_1, N_2, ... N_K$
- X_{ij} be the **actual/proportionate marks** of candidate (i) in shift (j), where, i can vary from 1 to N_j and j can vary from 1 to K.
- P_{ij} be the **percentile score** of candidateX_{ij}, where, i can vary from 1 to N_j and j can vary from 1 to K.

एक से अधिक पालियों में आयोजित परीक्षाओं या एक पॉली में एक से अधिक विषय हेतु Percentile score को एकजाई कर परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट बनाया जा सकेगा।

(b) बहु चरणीय (Multi-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

A.1 In cases where MP-ESB conducts examinations in 2 phases/stages, where the first is through the competitive examination followed by a Physical or Personal Interview/Examination, it is not appropriate to add the proportionate score or the percentile score of the first phase with the scores received in the second phase/ stage. In this scenario, MP-ESB will adopt the following methodology.

A.2 Step 1: Compute the percentile score P_{ij} of the proportionate score obtained by the candidates as described at (a) above.

A.3 Step 2: Compute the equivalent z-value for the percentile score using the Standard Normal Distribution

$$Z_{ij}=\text{ROUND}\left(\text{NORMSINV}\left(\frac{P_{ij}}{100}-\mathbf{0.005}\right),6\right)$$

where,

- Z_{ij}= Z -value score of ith candidate & jth shift

A.4 Step 3: Compute the corresponding T-score value for each candidate using the following formula:

$$T_{ij}=AM+ASD \times (Z_{ij})$$

where, T_{ij}= T-score of ith candidate & jth shift where,
AM = Assumed Mean = (Maximum Marks of the paper)/2
ASD = Assumed Standard Deviation = (Maximum Marks)/10

A.5 Step 4: Compute the Final Score Obtained for each candidate by adding the T-score ((T_{ij}) with the score obtained in the Physical/Personal test and the Final Score so obtained may be used for preparing the Merit List and inter-se position. Rojgar Result RojgarResult.Com

- For tie-breaking situations, at the first level, will be based on the proportionate marks obtained by the candidate in the examination, followed by the existing practise of MP-ESB.
- The proportionate score, percentile score, Z-value & T-score will be computed by rounding off to six places of decimal for single stage & multistage examination. The qualifying marks for any category (UR, SC/ST/OBC, PwD etc) willl be based on Proportionate Scores obtained by candidate.

उपरोक्त सूत्रों के अनुसार एक चरणीय एवं बहुचरणीय परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट तैयार किये जायेंगे।

2.10 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदनः–

(i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु मंडल वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है | लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाइन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी | उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी | अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी | एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विषय विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा, अतः उन प्रश्नों पर एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुनः आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी | प्रति प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि रूपये 150/- (एक सौ पचास) + अन्य चार्ज/शुल्क देय होगा| मण्डल को प्राप्त भौतिक अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा |

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.9 अ अनुसार MPESB द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) अंतिम उत्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञों (कुंजी समिति) द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.11 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) <u>**अनुचित साधन (Unfair means)**/यू.एफ.एम. (**UFM**) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में</u>

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा /Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना व उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशो की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना,धमकाना या शारीरिक चोट पहुॅचाना।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
10. परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व मंडल द्वारा किये गए डेटा विशलेषण में असामान्यता परिलक्षित होती हैए तो सम्बंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध यू.एफ.एम./वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु मंडल स्वतंत्र होगा द्य
11. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।
12. परीक्षा उपरांत, परीक्षा सम्बन्धी Data का सांख्यिकीय विशलेषण के आधार पर आवेदकों की गतिविधि असामान्य परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी को UFM श्रेणी में मान्य कर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जायेगी|

यूएफएम प्रकरणो में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) <u>पररूपधारण **(IMPERSONATION)** के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबध में</u>

1.अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी में विरूद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व काउंसलिंग के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते है, तो विभाग उक्त अभ्यर्थीकी अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर MPESB को अवगत कराया जायेगा।

MPESB द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

2.12 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

(i) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर MPESB द्वारा अभ्यर्थियों की एकजाई श्रेणीवार प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(ii) संबंधित विभाग की अनुशंसा उपरांत परीक्षा परिणाम म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

(iii) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाऐं भी MPESB की वेबसाईट पर अपलोड की जाऐंगी।

2.13 परीक्षा परिणाम :-

(i) अभ्यर्थियों का परिणाम MPESB की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा। परीक्षा परिणाम के अंकों की सभी गणना दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी तथा किसी भी स्थिति में अंकों को राउंडऑफ कर नहीं जोड़ा जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.14 म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार MPESB का होगा।

(ii) MPESB अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं MPESB द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख MPESB द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.15 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

खण्ड-ब

2.16 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी/दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ्ड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iv) ई.डब्लू.एस. श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(v) दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(vi) आवेदन पत्र में आवेदक को अपनी हस्तलिपि में निम्नलिखित text लिख कर अपलोड करना अनिवार्य होगा |
" मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है । यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती हैं ।"

2.17 ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को स्केन कराकर संलग्न करना होगा । जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(iv) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(v) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।

(vi) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अत: ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉं सुरक्षित रखा जाना होगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णत: स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(ix) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो - हस्ताक्षर - हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे |

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2.18 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

(i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।

(ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्क धारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर MPESB द्वारा विचार नहीं किया जायेगा |

(v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.19 <u>ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :</u>

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) **आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।**

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(v) **आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक** / आधार VID **अनिवार्यत: अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से**

1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा।
2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।

(vi) पहचान पत्र के मीनू मे MPESB द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

2.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की **वेबसाईट** www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।

(iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नही होगा।

(iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.21 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) आवेदक **स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा** वेबसाईट www.esb.mponline.gov.in के माध्यम से

(i) परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **निर्देश/Instructions** तथा परीक्षा **नियम/Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु क्लिक करें।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व पुन: पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंक के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

2.22 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

(i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2.23 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2.24 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2.25 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगी:-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्लू.एस./दिव्यांगजन का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ई.डब्लू.एस./दिव्यांगजन श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेंष राशि का भुगतान करना होगा।

(vi) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(vii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(viii) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर MPESB द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये MPESB द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

(ix) ऐसे आवेदक जिन्होंने निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र भर लिये हैं लेकिन भुगतान नहीं किया है, वे संशोधन अवधी में संशोधन शुल्क सहित भुगतान कर सकेंगे |

2.26 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण MPESB स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा ।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में MPESB द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2.27 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.28 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2.29 पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन

म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर MPESB द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये MPESB द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.30 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत MPESB की E-mail ID complain.esb@mp.gov.in पर भेज सकते हैं।

खण्ड-स

2.32 **आवेदन पत्र भरने की समयावधि**

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
24/06/2025	**08/07/2025**	15	**24/06/2025**	**13/07/2025**	20

2.33 **आनलाईन परीक्षा का विवरण**

स.क्रं.	पाली	दिनांक	दिन	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	**प्रथम**	**26/07/2025 से प्रारंभ**	**शनिवार से प्रारंभ**	03 घंटे	प्रात: 09:00 से 12:00 तक	200
2	**द्वितीय**				दोपहर 03:00 से 06:00 तक	200

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायक से काला करना होगा।

विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विषयों की जानकारी निम्न तालिका के अनुसार होगी :-

परीक्षाका नाम	पाठ्यक्रम	विषय	प्रश्नों की संख्या	प्रश्न-पत्र की संख्या	कुलांक
पी.ए.टी.- 2025	B.Tech. (Ag. Engg.) B.Sc. (Hons.)Agriculture B.Sc. (Hons.)Horticulture B.Sc. (Hons.)Forestry B.Sc. (Ag.)	**Science**		01	200
		Physics	50		
		Chemistry	50		
		Maths	100		
	B.Sc. (Hons.)Agriculture B.Sc. (Hons.)Horticulture B.Sc. (Hons.)Forestry B.Sc. (Ag.)	**Science**		01	200
		Physics	50		
		Chemistry	50		
		Biology	100		
	B.Sc. (Hons.)Agriculture B.Sc. (Hons.)Horticulture B.Sc. (Hons.)Forestry B.Sc. (Ag.)	**Agriculture**		01	200
		Ag.-1	100		
		Ag.-2+3	100		
	B.Sc. (Hons.)Agriculture B.Sc. (Hons.)Horticulture B.Sc. (Hons.)Forestry B.Sc. (Ag.)	**Science**		01	200
		Physics	50		
		Chemistry	50		
		Agriculture	100		
	B.Sc. (Hons.)Agriculture B.Sc. (Hons.)Horticulture B.Sc. (Hons.)Forestry B.Sc. (Ag.)	**Science**		**01**	**200**
		Biology	**50**		
		Chemistry	**50**		
		Agriculture	**100**		

2.34 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ दिव्यांगजन एवं ई.डब्लू.एस. अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क
01.	एक	500/-	250/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से भरने पर 20/-

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	40/-

2.35 परीक्षा शहर :-

आवेदकों को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहरों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है | बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किये गये शहरों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केंद्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा | तथापि परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रो की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है । बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है एवं उक्त सम्बन्ध में एम.पी.ई.एस.बी. का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा | अतः परीक्षा केंद्र परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे | लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा शहरो/केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी ।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र			
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. सीधी
5. उज्जैन	6. सतना	7. सागर	8. रतलाम
9. नीमच	10. रीवा		

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

2.35

(i) परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है। परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी.

(ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा । अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।

(iv) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(v) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश.पत्र प्राप्त कर सकते है। अत: आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।

(vi) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट मे किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधन मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा ।

(vii) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है ।

(viii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।

(ix) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पह चान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। ई.आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।

अध्याय - 3

पाठ्यक्रम (SYLLABUS)

1. विज्ञान (Science): (Comprising Physics and Chemistry)

(A) PHYSICS

Unit and dimensions, dimensional analysis, S.I. Units, Motion in two dimensions Cases of uniform velocity and uniform acceleration, General relation among position andvelocity, Uniform circular motion Force and inertia. Newtion's Laws of motion.Conservation of momentum and energy. Static and kinetic friction. Work energy and power Elastic collisions, Potential energy, gravitational Potential energy and its angular conversion to kinetic energy. Potential energy of a spring. Rigid body rotation and conservation of its momentum. Moment of inertia, theorems of parallel and perpendicular axis. (Moment of inertia of uniform ring, disc, thin rod and cylinder only).

Acceleration due to gravity and its variation, Universal law of gravitation, geostationary satellites, escape velocity.

Hooke's law, Young's modulus, shear and bulk modulus, surface energy and surface tension, kinetic theory of gases, gas laws, kinetic energy and temperature.

Specific heats at constant volume and constant pressure. mechanical equivalent of heat, isothermal and adiabatic processes.

Heat conduction in one dimension, convection and radiation, Stefan's Law and Newton's law of cooling.

Periodic motion, Simple harmonic motion, Oscillations due to spring, Wave motion, principle of superposition; Progressive and stationary waves, beats and Doppler effect.

Wave nature of light, Interference, Young's double slit experiment, Velocity of light and Doppler's effect in light.

Reflection, refraction, total internal reflection, curved mirrors, Lenses, mirror and lens formulae. Dispersion in prism, absorption and emission spectra.

The human eye, defects of vision, magnification and resolving power of telescope and microscope

"e" and "e/m" for an electron, Einstein's photoelectric equation, photocells.

Bohr model of the atom, Hydrogen spectrum, Composition of nucleus, atomic masses and isotopes, radioactivity, laws of radio active decay, decay constant, half life and mean life, Mass-energy relation, fission. X-Ray: Properties and uses.

Elementray ideas of conductor, semi-conductor and insulator, intrinsic and extrinsic semi conductors, p-n Junction as a rectifier.

Bar magnet, lines of force, torque on a bar magnet due to magnetic field, earth's magnetic field, tangent galvanometer, vibration maganetometer.

Coulomb's law of electrostatic, dielectric constant, electric field and potential due to a point charge, dipole, dipole field, Guass's law in a simple geometrics.

Eectrostatic potential, capacitance, parallel plate and spherical capacitors capacitors in series and parallel, energy of a capacitor.

Electric current, Ohm's law, Kirchhoffs laws, resistances in series and parallel temperature dependence of resistance. Wheatstone bridge, potentiometer.

Measurement of voltages as currents.

Electric power, heating effects of currents, chemical effects and law of electrolysis thermoelectricity. Biot Savart law. Magnetic fields due to a straight wire circular loop and solenoid.

Force on a moving charge in a magnetic field (Lorentz force), magnetic moment of a current loop, effect of a uniform magnetic field of a current loop, forces between two currents, moving coil, galvanometer, ammeter and voltmeter.

Electromagnetic induction induced emf, Faradays law, Lenz's law, self and mutual inductance alternating currents, impedence and reactance, growth and decay of current in L-R circuit, elementrary idea if dynamo and transformer.

(B) CHEMISTRY

GENERAL AND PHYSICAL CHEMISTRY

1. Structure of Atom: Constitution of nucleus: Bohr's atom model: quantum numbers Aufbau principle, electronic configuration of elements (upto-Kr): de-Broglie relation, shapes of orbitals.
2. Chemical Bond: Electrovalent, covalent and coordinate bonds, hybridisation (sp): hydrogen bond: shapes of molecules (VSEPR theory) : bond polarity, resonance, Elements of VBT a MOT.
3. Solutions: Modes of expressing concentrations of solutions: Types of solutions, Raoults law of colligative properties, non-ideal solution, abnormal molecular weights.
4. Solid State: Crystal lattices, unit cells, Structure of ionic compunds: close packed structure lonic radii, imperfections (Point defects): Properties of solides.
5. Nuclear chemistry Radio active radiations: half-life, radioactive decay, group displacement Law structure and properties of nucleus: Nuclear reaction, disintegration series artificial transmutation: isotopes and their uses: Radiocarbondating.
6. Chemical Equilibrium: Chemical equilibrium, Law of mass action: Kp and Kc: Le Chatelier principle and its applications.
7. Ionic Equilibria in solutions, Solubility product, common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts: pH : buffers.
8. Thermochemistry and Thermodynamics: Energy changes during a chemical reaction: instrinsic energy enthalpy, First Law of thermodynamics: Hess's law Heats of reactions: Second law of thermodynamics: entropy: free energy; spontaneity of a chemical reaction; free energy change and chemical equlibrium; free energy as energy available for useful work.
9. Chemical Kinetic: Rate of a reaction, factors affecting the rate, rate constant rate expression, order of reaction, first order rate constant expression and characteristics, Arrhenous equation.

10. Electrochemistry: Oxidation, Oxidation number and ion-electron methods. Electrolytic conduction. Faraday's laws; voltaic cell, electrode potentials, electromotive force, Gibb's energy and cell potentials. Nernest equation, commercial cells, fuel cell, electrochemical theory of corrosion.

11. Surface chemistry, Colloids and Catalysis; Adsorption, Colloids (types preparation and properties), Emulsions, Micelles, Catalysis: Types and characteristics.

INOGRANIC CHEMISTRY:

12. Principles of metallurgical operations: Furnaces, ore concentration, extraction, purification metallurgies of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn and Pb and their properties.

13. Chemical periodicity: S.p.d. and f-block elements, periodic Table: periodicity : atomic and ionic radii valency. ionization energy, electron affinity electronegativity, metallic character.

14. Comparative study of elements: Comparative study of the following families of elements: (i) Alkali metals (ii) Alkaline earth metals (iii) Nitrogen family (iv) Oxygen family (v) halogens (vi) Noble gases.

15. Transition metals: Electronic configuration of 3d-metal ions, oxidation states, other general characteristic properties, Potassium permanganate, potassium dichromate.

16. Co-ordination compounds: Simple nomenclature, bounding and stability, classification and bonding in organometailics.

17. Chemical analysis: Chemistry involved is simple inorganic quilitative analysis:calculations based on acid-base titrimetry.

ORGANIC CHEMISTRY:

18. Calculation of empirical and molecular formula of organic compounds, Nomenclature of organic compounds, common functional groups isomerism Structure and shapes of alkanes, alkanes and benzene.

19. Perparation properties and uses of alkynes, alkynes, benzene petroleum, cracking octane number, gasoline additives.

20. Nomenclature, Physical chemical properties, correlation of physical properties with structure properties and uses of heloalkanes, halobenzenes, alcohols and phenols: General ideas of some polyhalogen compounds viz dicholorothanes, dichloroethers, chloroform, carbon tetrachloride D.D.T. benzene hexachloride.

21. Nomenclature, methods of preparation, Chemical properties correlations of physical properties with structures and uses of ethers aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives, Brief account of the chemistry of Cyanides isocyanides, amines and nitro compounds.

22. Polymers: Classification: Preparation and uses of common natural and synthetic polymers.

23. Biomolecules: Classification, Structures and biological importance of carbohydrates amino acids, peptides, proteins and enzymes, nucleic acids and lipids.

2. गणित (MATHEMATICS)

1. **ALGEBRA:** Algebra of complex mumbers. Graphical representation of complex numbers modulus, and argument of complex numbers, conjugated of a complex number, Triangle inequality, cube roots of unity. Arithmetic, geometric and harmonic progression. Arithmetic,

geometric and harmonic means between two numbers. Sum of squares and cubes of first natural numbers. Theory, geometric equation, relations between roots and coefficients. uadratic expressions, quadratic equations in one variable, Permutations and combinations. Bionomial Theorem (any index) exponential and logarithmic series. determinants upto third order and their order and their elementary properties matrices types of matrices, adjoint and inverse of matrix, elementary. Application in solving simultaneous equation upto three variables.

2. **TRIGONOMETRY:** Trigonometry functions and their graphs, addition and subtraction formulae; formulae involving multiple and submultiple angles, general solutions of trignometrical equations. Relations between sides and angles of a triangle. Solutions of triangles, inverse; trigonometrical functions, height and distance (Simple Problems).

3. **CO-ORDINATE GEOMETRY OF TWO DIMENSIONS**: Rectangular cartesain coordinates. Straight line, pair to straight lines, distance of a point from a line, angle between two lines. Circle, tangents and normals, system of circles. Conic section; Parabola, Ellipse and Hyperbola in standard forms with elementary properties, tangents and normals.

4. **CO-ORDINATE GEOMETRY OF THREE DIMENSIONS:** Rectangular co-ordinate system. Direction cosines and direction ratios, equation of place in standard forms. Perpendicular distance from a point, equation of a line angle between two lines.

5. **VECTOR ALGEBRA:** Definition of vector, addition of vector, components in three dimensional space. Scalar and vector products. Triple products, simple application in geometry and mechanics.

6. **DIFFERENTIAL CALCULUS:** Function, polynomial, rational trignometric, logarithmic and exponential,inverse functions. Limit continuity and differentiability of functions, differentiation of rational, trigonometric and exponential functions. Application of derivative in elementary problems in mecharics, increasing and decreasing frunctions. Maxima and Minima of function of one variable. Roll's theorem and mean value theorem.

7. **INTEGRAL CALCULUS:** Integration as the inverse process of differentation. Integration by parts. By substitution and by partial fraction. definite integral. Areas under simple curves.

8. **DIFFERENTIAL EQUATIONS:** Formulation of differential equation, ordered degree. Solution of differential equations by seperation of variable method. Homogeneous form. Linear differential equation of first order.

9. **STATISTICS :** Probability, addition and multiplication laws. Conditional probability. Binomial distribution. simple problems in correlation and regression.

10. **NUMERICAL METHODS:** Solution of equation by the methods of bisection, false position and Newton-Raphson. Numerical integration by trapezoided and Simpson's Rule.

11. **LINEAR PROGRAMMING:** Definition and formation of linear programming problems. Solution by graphical method.

3. BIOLOGY (Compirising Botany & Zoology)

(A) वनस्पति शास्त्र (BOTANY)

Structural organization of cell, cell theory. Light and Electron Microscopic view of cell. Structure and functions of cell organelles : Nucleus Mitochondria, Chloropast Endoplasmic reticulum, Golgi complex-lysosome, microbodies microfilaments Ribosomes. Centrioles and Plasmids, Eukaryotic

Chromosome (Morphology) cell and plasma membrane. Difference between plant and animal cell Division, cell cycle significance of mitosis and meiosis.

Mendel's Laws of inheritance, Monohyobrid and dihybrid cross; linkage and crossing over of genetic material DNA relication, genetic code transcription transcription and gene regulation.

Difference between prokaryote and Eukaryotes : Structure reproduction and economic importance of viruses Mycoplasma, Bacteriophage, Cynobacteria (Nostoc) and Bacteria.

Five Kingdom classification Binomial Nomenclature : Extrenal morophology and life cycle of Spirogyra mucor, Funaria Selaginella and pinus.

Elementary knowledge of microsporogenesis megasporogenesis. Fertilisation endosperm and embroyo development in Angiosperms.

Tissue and tissue systems, meristematic and permanent tissue, Mineral nutrition-essential elements and their functions: uptake of minerals transport of water and solutes. Transpiration Photosynthesis and Respiration: Importance, mechanism and factors affecting these processess: Photorespiration.

Enzymes and growth hormones with reference to their classification. Chemical nature, mode of action importance. Elementary idea of photoperiodism and phytochrome.

Ecosystem - Structures and function, Major ecosystems i.e. lake and Forest; Food chain, Food Web and Energy flow, Ecological crisis- Role of man in polluting Environment - Air Water and Soil.

Role of plants in human welfare : A general knowledge of plant products of economic value-Drugs, Fibers, Cereals.

Wheat and Rice, Pulses (gram), Oil seeds (Ground nut), Sugarcane, Coal and Petroleum.

Food preservation-Methods and importance.

Principle of plant breeding and its role in improvement of crops. Biotechnolgy; scope and importance in Agriculture and industries manufacture of cheese. Yoghurt Alcohol Antibiotics.

(B) प्राणीशास्त्र (Zoology)

MULTICELLULARITY - STRUCTURE AND FUNCTION OF ANIMAL LIFE:

- Structure and function of Animal tissues Epithelial, Connective Muscular, Skeletal and Nerve.
- Histology of Mammalian organs - Stomach, Intestine, Liver, Kidney, Lung, Testes and Ovary.
- Structure and Physiology of different organ systems of Human body. Skin, Digestive system, Respiratory System. Criculatory system.
- Skeleton, Joints, Muscles on the basic of movement Receptors.
- Endocrine system with special reference to various Endocrine glands of man and Hormonal co-ordination.
- Vitamin & minerals (source and disorders due to deficiencies).

DEVELOPMENTAL BIOLOGY AND GENETICS :

- Female reproductive cycles in mammals. Gametogenesis alongwith structure of sperm and ovum. Types of eggs, Fertilization, cleavage types of cleavage and blastula. development of mammals upto three germinal layers. Foetal membranestructure and functions.
- Growth, repair and ageing, amniocentesis.
- Chromosomes, Types of chromosome, Human karyotype and chromosomal abnormalities and syndromes, Hormanal, Chromosomal and Genic Balance theory of sex determination, Sex linkage and sex linked inheritance in Man. Blood Group and their significance, Blood Bank.
- Tissue culture, Genetic Engineering (Brief idea). Mutation gene mutation.
- Human population natality Mortality, Sex ratio Population explosion, dynamics of humaan life with respect to food supply, housing health and standard of living impact of population problems and their control.

TAXONOMY EVOLUTION ECONOMIC ZOOLOGY :

- Classification - Bionomial and trinomial nomenclature, Basic features of classification, Classification of different animal phyla upto classes with characters and suitable examples.
- Origin of life, Theories of organic evolution-Darwin, Lamarck, Synthetic Evidence of organic evolution, Human Evolution.
- Economic Zoology/Sericulture, Apiculture, Lac culture, Poultry, Fishery and pearl industry.
- Protozaon disease in relation to man. Insect carying diseases in relation to man.
- Cancer-types of cancer and cancer cell. Communicable diseases (Hepatitis, AIDS) STD, Immune Response, Vaccines and antisera allergies.
- Smoking, alcoholism and drug addiction, symptoms and control.
- Wild conservation.
- Pesticides - Uses, advantages and hazards.

4. कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित तत्व [ELEMENTS OF SCIENCE AND MATHEMATICS]

(USE FOR AGRICULTURE) AG.-1

(I) AGRICULTURE PHYSICS:

1. Principle of Archimedes, Floating bodies density and relative density, determination of R.D. by Hydrometers.
2. Atmospheric pressure. Fortins barometer and its relation to weather condition manometer.
3. Pumps - Force and vacuum pumps, symphon suction pumps.
4. Friction - Laws of Friction, angle of friction, coefficient of friction and its determination, advantages and disadvantages of friction.
5. Machine - simple machines such as plas, lever, pully. Simple wheel, their construction and working mechanical advantages, Velocity ratio efficiency of machine.

6. Gravitation and gravity; Relation between 'G' and 'g' simple harmonic motion simple pendulum law of gravitation.

7. Unit of heat, Specific heat, thermal capacity, water equivalent of heat, determination of Specific heat of solid and liquid, Latent heat, determination of latent heat of ice and steam.

8. Transmission of Heat-Conduction, Convection and Radiation. Conductivity, good and bad conductor, New-tons law of cooling-simple idea.

9. Light, Rectilinear propagation of light, Shadow and eclipse, pinhole camera, reflection through Prism, Dispersion of light, dispersive power spectrum, their type, spectometer.

10. Optical instruments, Human eye, its defects, photographic camera, simple and compound microscope Telescope.

11. Magnetism, Magnetic Field, Intensity of magnatic field, lines of forces; Neutral point, Couple acting on magnet placed in a uniform magnetic field. Magnetic movement of magnet, tangent law and its limitation.

12. Electric charge- electric potential, electric field and its intensity due to a point, potential inside a conductor.

13. Electrical capacity, its unit, its value for a Spherical conductor, principle of condensers capacity of spherical and parellel plate condenser.

14. Ohm's law, Resistance, grouping of resistance, electomotive froce and potential difference. Potentiometer its principle, comparision of EMF of two cells by potentiometer.

15. Elementary idea of heating effect of current, Joule's law determination of 'J' by Joules Calorimeter, elementary, idea of the house wiring electric iron, electric power and energy.

(II) AGRICULTURE CHEMISTRY :

1. **Atomic Structure:** Bohr's atomic model, Distribution of electrons according to Bohr- Bory Rules. Radioactivity and atomic disintegration.

2. **Chemical Bonds :** Characterstics of electrovalent, Covalent and Co-rodinate Bonds.

3. **Ionic Theory :** Uses of ionisation, Solubility product, Hydrolysis, neutralisation, Ionic product of water. Determination of pH Buffer Solution, Nutritional importance of Soil pH.

4. **Colloids:** Lyophilic and Lyophobic, properties of colloids, colloidal solutions, protective colloids, gold number, Soil colloids clay and humus.

5. Introduction of important minerals present in soil and their chemical composition.

6. **Chemical Fertilizers:** Manufacture of different fertilizers of N.P.K. and their utilization Micronutrients.

7. **Volumetric analysis:** Strength of solution, Normality, determination of equivalent weight of acid, base and salt.

8. Introduction to Organic Chemistry, Determination of empirical, molecular and structural formula of simple organic compounds.

9. Classfication and nomenclature of organic compounds, Isomerism.

10. Saturated and unsaturated Hydrocarbons, Mathane, Ethylene, Chemistry of gobar Gas.

11. Fermentation, ethyl alcohol, Aliphatic carboxylic acid-Acetic acid, Urea.

12. Oil and fats, extraction, Composition and properties, manufacture of soap, Vanaspati Ghee, use of oil in paints.

13. Elementary Biochemistry, Carbohydrates, proteins, Lipids, Vitamins and enzymes.

(III) AGRICULTURE MATHEMATICS:

1. **Arithmetic Progression:** Definition, formula to find the nth term. Formula to find sum of n terms. Definition of arithmetic mean. Insertion of given number of mean between two given quantities. Finding of remaining quantity when any three of S, a d, n are given.

2. **Geometric Progression:** Definition, Formula to find the nth term, sum opf n terms, geometric mean insertion of geometric means between two given Quantitites. Finding or remaining quantity when any three of ks, a, n are given.

3. **Logarithms and Common Logarithms:** Definition of product division of number raised to any power characteristics of the logarithim of any number greater than unity. Characteristics of the Logarithm of a decimal fraction.

4. Trigonometrical functions of angles of any size and sign. Trignometrical ratios of an angle (90+) (190) (80+)

5. Trigonometrical ratio fo the sum and difference of two angles. Geometrical proof for sin (A+B), Cos (A+-B) product formula for Sin (C+ - sin D), (C+ - CosD)

6. Statistics: Calculation of mean, mode, median and standard deviation, variance and mean deviation for grouped data using various formula.

(IV) AGRICULTURE, BOTANY, ZOOLOGY:

1. **Plant Anatomy :** (i) Root-Structure and Functions (ii) Stem-Structure and Functions (iii) Leaf Structure and Functions.

2. **Agril Botany Zoology :** Classification of plants, (i) Outline of classification of plants, (ii) Study of the following families, (a) Compositeae (b) legumininoseae (c) Cucurbitae (d) Solananceae (e) Mavaceae (f) Cruciferae (g) Gramineae.

3. **Plant Breeding and Genetics :** (i) Definition of Genetics and plant breeding and role of Genetics in plant breeding (ii) Cell-its structure and cell division (iii) Principle of inheritance (iv) Self and cross polinated crops, (v) Methods of breeding field crops.

4. **Plant Physiology:** (i) Respiration, types function, (ii) Photosynthesis (iii) Transpirations (iv) Plant growth and development.

5. **Animal Kingdom:** (i) Classification of animal kingdom, (ii) Useful and harmful insects of agriculture Silk work, Honey bee, LAC insect, Termites, Grass hopper, grass caterpillar. Anatomy and physiology, elementary internal anatomy of grass hopper, earthworm and cockroach with reference to digestive. Respiratory and reproductive system.

5.(अ) फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र

5. (A) CROP PRODUCTION AND HORTICULTURE (AG.-2)

1. (i) Introduction and activities of agriculture and crop production, (ii) Importance of crop production in National Economy (iii) Different Branches of Farming and their importance.
2. **Soil and Soil Fertility :** (i) Soil and its constitutents (ii) Physical properties of Soil-Soil texture and Structure porespace, specific gravity, plasticity, cohesion and soil temperature (iii) Formation of soil-classification of soil in M.P. and their characteristics (iv) Soil corrosion its kind, their causes and control, measures of soil conservation (v) Soil acidity and alkalinity and their reclaimation soil-pH.
3. **Tillage:** (i) Object of tillage, tillage operations, ploughing, levellling, harrowing, intercultivation (ii) Tillage implements, country plough imporoved ploughs, harrows and cultivators, threshers, winnowers and seed drills, tractor driven implements.
4. **Manures and Fertilizer** (i) Essential element for plant growth (ii) Description and uses of organic manures. F.Y.M. Compost green manures (iii) Differnet Nitrogenous, Phosphate and potash Fertilizers, properties and uses.
5. **Production of crops:** (i) Classification of crops according to seasons and economic classification (ii) Cultivation of Kharif Crops- Jowar, Maize, Groundnut, Cotton, Paddy, Soybean, Arhar, Urad, Moong (iii) Rabi crops-Wheat, Linseed, Mustard, Sugarcane, Gram, Barely under following heads 1. Preparation of land 2. sowing operation 3. Seed rate per hectare 4. Manures and fertilizer 5. irrigation 6. Interculture and weeding 7. Imporved varieties 8. Yield per Hectare 9. Disease: pests and their control.
6. **Irrigation land Drainage:** (i) object of irrigtion and drainage (ii) sourcs of irrigation and drainage (iii) Method of irrigation and drainage (iv) Water requirements of crops (v) Duty and discharge of water, (vi) Common water lifts. Diesel and electric pumps.
7. **Weed and weed control.**
8. **Cropping scheme, importance of principles if:** (i) Crop rotation (ii) Principle cropping (iii) Mixed and inter cropping (vi) Dry farming (v) Cooperative farming.
9. Elementary Surveying-Importance of Surveyng. elementary survey with the help of chains, instruments used in survey as optical square, cross staff offset rod, dumpy level, recording of field book.
10. Introduction (i) Importance and scope of Horticulture (ii) Pomology - Location and layout. (iii) Planting system - training, pruning, inter-cropping, winds breaks, protection from frost and sun burn (vi) care maintenance and rejuvenation of fruit, orchards.
11. Vegetable Gardening (i) Kitchen gradening (ii) Cultivation of Radish, Carrot, cole crops, Onion Brinjal, Chilies, Tomato potatoes.
12. Fruit cultivation (i) Vegetative propagation-Budding, inarching and Goottee cutting, Grafting and layering (ii) Cultivation of Papaya, Banana, Grapes, Mango, Guava and citrus frruits.
13. Ornamental Gardening (i) General Cultivation of Winter and summer season annuals (ii) Ornamental and flowering plants. Trees shrubs, climbers, hedges and hedges plants. (iii)

Common ornamental and flowering plants e.g. Rose, Canna and chrysanthemum (iv) Preparation and maintenance of lawns.

14. Fruit and Vegetable preservation- Canning and bolt ling Technique (i) Simple canning and botting techniques use of suitable containers like aluminised plastic and paper (ii) Washing, Blandching and peeling of fruit and Vegetables, trading of fruits for canning.

15. Preservation of Fruits and Vegetables (i) General principles and methods of fruit and vegetable preservation (ii) Processing by heat, preservation by antiseptic drying, preservation by fermentation dehydration and packing (iii) Preparation of jelly, Lime squash and Tomato sauce.

16. Rural Finance (i) Cultivator's Finance needs for farmers (ii) Source of credit (iii) Organisation of Rural Cooperative credit and marketing societies.

5.(ब) पशुपालन एवं कुक्कुट पालन के तत्व

5. (B) ELEMENTS OF ANIMAL HUSBANDRY AND POULTRY FARMING (Ag.-3)

(A).1. **Introduction :-** (i) Importance of Live stock in Indian Economy, (ii) Body parts of cow and buffalo and description of important systems, respiratory, digestive, reproductive, secretion of milk.

2. **Improved Cattle Breeds :-** (i) Cow (ii) Buffalo (iii) Goat and (iv) Sheep.

3. **Care and management of Cattle :-** (i) Animal Hygiene (ii) Cattle housing sheds for bullocks, bull, milch cattle etc. (iii) Special attention for rearing of calves, pregnant and milch cattle, working bullocks and bull.

4. **Breeding of Cattle :-** (i) Breeding Line breeding and cross breeding, Mendel's laws of breeding (ii) Artificial insemination in cattle with examples.

(B)5. **Dairy Farming:** (i) General idea regarding dairy farming as a business in village and town conditions requirement of land, labour, captial; management techniques.

6. **Milk Production: -** (i) Differnet methods of milking, (ii) Principles of clean milk production,. (iii) Factors affecting quality and quantity of milk.

7. **Composition of milk :** (i) Definition of milk (ii) Milk constitutents (iii) Composition of Milk: Factors affecting composition of milk.

8. **Physical properties of milk :** (i) Temperature (ii Boiling Freezing point (iii) pH (iv) Density (v) Specific gravity use of Lactometer (vi) Gerber's method for fat test.

(C)9. **Feed and Feeding :** (i) Principles of Feeding of dairy cattle (ii) Different types of feeds and fodders and their nutritive calues - Kharif and Rabi Fodders: Hay and silage crops (iii) Preservation of fodders making of silage, hay silopits hay silopits. (iv) Computation of balanced ration of cows, buffaloes, bullocks, bulls goats and sheep.

10. **Judging of Cattle :** (i) Importance of Judging, (ii) Judging method, Score card method and on the basis of body parts, (iii) Judging the age of cattle by rings on the horn and by the teeth development.

11. **Dairy appliances :** (i) Constrution of appliances and their cleanliness (ii) working of cream separator and tis parts. Butter churner, Butter worker.

12. **Milk Products :** (i) Preparations of cheese. Cream, Ravri, Dahi, Butter, Ghee, condensed milk. Milk powder and their composition.

13. **Common diseases of Cattle :** (i) Symptoms of sick Animals, (ii) Symptoms of different diseases. Rinderpest Foot and Mouth disease. Blackquater, Haemorrhagic Septicaemia, Anthrax and piroplasmosis: (iii) their prevention and control measures.

14. **Poultry Farming :** (i) Introductory, (ii) Scope and limitation of Poultry Farming, (iii) important breeds of poultry for eggs, meat (iv) Hatching of eggs and uses of incubator.

15. **Housing and ration for poultry birds:** (i) Poultry sheds, layout model sheds (ii) Ration of poultry bird-chicken, Growere, layers and Broilers.

16. **Diseases of Poultry:** (i) preventive control measures, (ii) Bacillary White diarrhoea, Ranikhet Coccidiosis, Fowl, Pox, Fowl cholera, Ecto and endoparasites.

6- कृषि AGRICULTURE (Arts and Science Group) (Ag.)

1. Introduction (i) Importance and scope of Agriculture in our National Economy and Development. (ii) Measures to be adopted for increasing the yeild of crops.
2. Meteorology (i) Distribution of crop Zones depending upon the rainfall in M.P. (i.e.) Weather recording-Rainfall, Temperature, Humidity and atmospheric pressure.
3. Soils (i) Importance of Soil, Soil texture, soil structure, mineral matter, soil organic matter, soil and organism (ii) Different soil of M.P. and their Characteristics (iii) causes of infertility and ways to improve them.
4. Tillage (i) Definition of tillage, tillage operations such as ploughing, harrowing interculture etc. (ii) Tillage implements-Country plough, improved plough, harrows, cultivators, thresheres, winnower and seed drills.
5. Manures and Fertilizers (i) Major and minor plant nutrients (ii) organic manures F.Y.M. compost,Green manures, Oil cakes (iii) Inorganic Fertilizers - Nitrogenous, phosphatic and Potash Fertilizers.
6. Weeds and weed Control (i) Defination of weeds, damage caused by weeds (ii) Weed control methods mechanical Biological and Chemical.
7. Inrrigation and Drainage (i) Need Objects of irrigation and drainage (ii) Sources of irrigation and drainage.
8. Cropping Schemes: Importance and principles of Crop-rotation, mixed cropping, multi cropping, Dry farming.
9. Crop Producation (i) Classification of crops(ii) Cultivation of following crops with reference to their land preparation, manuring, sowing, seed rate, irrigation, interculture, imporved varieties, control of diseases and pests, yield per hectare, Major crops paddy, Wheat, Jowar, ground nut and cotton Minor Crops-Arhar, Moong, Soybean, Linseed and Mustard.
10. Introduction (i) meaning and scope of Horticulture (ii) Planting system, pruning, training and intercropping (iii) Elementary idea regarding ornamental plants, annuals, shrubs, trees hedges.
11. Cultivation of fruit plants (ii) propagation of plants-cutting, budding, layering gootee, grafting and inarching (iii) Elementary idea regarding ornamental plants, annuals, shrubs, trees hedges.
12. Cultivation of vegetables (i) classification of vegetalbe as per family seasons and uses (ii) cultivation of Potato, Cauliflower, Radish, Onion, Tomato, Brinjal, bhindi and Chillies.
13. Fruit and vegetable preservation (i) General principles and methods of fruit and vegetable preservation.
14. Animal Husbandry (i) Important breeds of cow and buffaloes (ii) care maintenance and housing of cattles (iii) Principles of feeding and balanced ration of cattles.
15. Milk and milk testing (i) composition of milk of cows and buffaloes (ii) Testing of milk by lactometer.
16. Milk products and Dairy machines (i) Preparation of Cream, ghee, Butter, Khoya and Dahi (ii) Construction of working of cream separator.
17. Diseases of Cattles (i) Sings of sick animal (ii) Common diseases of cattle, their prevention and control.
18. Poultry Farming (i) Important Poultry breeds and their characteristics (ii) Warehousing and feeding of Poultry breeds (iii) Hatching of egg by natural and artificial methods (iv) Grading and marketing of eggs (v) Common diseases of poultry, their prevention and control.

प्रारुप-1
(देखे नियम 1.8.5)

अध्याय -04

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

अभ्यर्थी के पिता/माता/वैध अभिभावक का शपथ पत्र
(केवल अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये)

नाम	:...
पिता का नाम	:...
अनुसूचित जाति/जनजाति (अनु.का क्रमांक)	:...
धर्म	:...
व्यवसाय	:...
पता	:... ....

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि -

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अंतर्गत जिला.........................(म.प्र.) के लिये घोषित ....अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का /की सदस्य हूँं।

2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ....के समक्ष जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक...................................को प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

....

टिप्पणी - जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट देवें एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

<u>प्रारूप-**2** (अ)</u>

(देखे नियम 1.8.5)

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला.......................................मध्यप्रदेश पुस्तक क्रमांक.........
.................................प्रकरण क्रमांक.......................... प्रमाण पत्र क्रमांक...

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...पिता/पति का नाम...निवासी ग्राम/नगर ....वि.खं.....................................तहसील.......................जिला..................... संभाग..के..जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संषोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.......................................पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी...पिता/पति का नाम............................ .... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी....................................... के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए..है।

दिनांक हस्ताक्षर
(सील) प्रामाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जानजाति।

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। (अ)कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीयअधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रषासक/अधिकारी,वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

<u>प्रारूप-2 (ब)</u>

(देखे नियम 1.8.5)

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला.................................मध्यप्रदेश पुस्तक क्रमांक............. .... प्रकरण क्रमांक........................... प्रमाण पत्र क्रमांक................................

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...पिता/पति का नाम..निवासी ग्राम/नगर........................ वि.खं..तहसील......................................जिला................................संभाग.............................. ....के..जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ....जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संषोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.......................................पर अंकित है। अत: श्री/श्रीमती/कुमारी..पिता/पति.. का नाम...अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी....................................... के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए...है।

दिनांक ....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

यह प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध होगा।

प्रारूप-3 (अ)

(देखे नियम 1.3)

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग..जिला..मध्यप्रदेश पुस्तक क्रमांक.. प्रकरण क्रमांक.. प्रमाण पत्र क्रमांक..............................

जाति प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.. पुत्र/पुत्री श्री...निवासी ग्राम/शहर.. तहसील.....................................जिला...............................मध्यप्रदेश के निवासी हैं,जो..जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन,आदिम जाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, द्वारा अधिमान्य किया गया है।
श्री...और / या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला....................... संभाग......................... में निवास करता है .
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग)
व्यक्तियों / वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिषिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-26/93/1- आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिषिष्ट "ई" की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी..के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक .... को प्रवजन कर चुका है।

दिनांक ....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

<u>प्रारूप-3 (ब)</u>

(देखे नियम 1.3)

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र

अस्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग...जिला..................................मध्यप्रदेश पुस्तक क्रमांक.......... .... प्रकरण क्रमांक................................... प्रमाण पत्र क्रमांक.....................

जाति प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती / कुमारी... पुत्र/पुत्री श्री...निवासी ग्राम/शहर.. तहसील...जिला..मध्यप्रदेश के निवासी हैं,जो..जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन,आदिम जाति,अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसंबर 1984, द्वारा अधिमान्य किया गया है। श्री...और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला................ संभाग......................... में निवास करता है .
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिषिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.7-26/93/1- आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिषिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी..के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक .... को प्रवजन कर चुका है।

दिनांक ....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

<u>प्रारुप-4</u>

(देखे नियम 1.8.6)

<u>स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र</u>

संदर्भ क्रमांक..........   दिनांकः-   /   /

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति..(उम्मीदवार का नाम) श्री/श्रीमति...(उम्मीदवार के पिता/माता का नाम) के/वैध (Legitimate) पुत्री/पुत्र है जो श्रीमति...(स्वतंत्रा संग्राम सेनानी का नाम) के/वैध (Legitimate) पुत्री/पुत्र है।

2. श्री/श्रीमति...(स्वतंत्रा संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला...(जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (Register) में क्रमांक ....पर पंजीकृत है।

स्थान ....   **हस्ताक्षर कलेक्टर**
दिनांक....................   **(कार्यालय सील)**

<u>प्रारूप-5</u>

(देखे नियम 1.8.4)

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.................................   दिनांक..........................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री...जो म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)...वर्ष.......................के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है ने नियमित छात्र/छात्रा के रूप में इस संस्था..(संस्था का नाम) में सत्र.................................से सत्र................................तक अध्ययन किया है।

स्थानः ....   संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

दिनांकः ....   नाम एवं पद...

(कार्यालय सील)

<u>प्रारूप-6</u>
(देखे नियम 1.8.4)

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक................................ दिनांक......./......./...........

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी... आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री...जो तहसील .... जिला...मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योकि वह

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/हुई है

अथवा

2. वह/उसका पालक/वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षो से रह रहा है।

अथवा

3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

अथवा

4. वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षो से कोई अचल संपत्ति, उद्योग व्यवसाय रखते है।

1. उसने अपनी षिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है। जिसमें कक्षा एक से पूर्व की षिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

2. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा
(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान: .... प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांकः .... (कार्यालय सील)

टिप्पणी: जो आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

<u>प्रारूप-7</u>
(देखे नियम 1.8.4)

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक........................ दिनांक......./......../............

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. जो म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).. ....वर्ष......................................के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) .... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती..का/की पुत्र/पुत्री है।

(क) जो..विभाग में... पद पर .... (तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हैं।

अथवा

(ख) जो..विभाग में..पद पर पदस्थ मध्यप्रदेशशासन के कर्मचारी थे और जो .... (तिथि) को इस विभाग से सेवा निव्त्त हुएं।

अथवा

(ग) जो..विभाग में...पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए................................(तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो..विभाग में..पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी है।

स्थान: .... **कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर**

दिनांकः .... **(कार्यालय सील)**

<u>प्रारूप-8</u>

(देखे नियम 1.8.4)

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.................................   दिनांक......./......./............

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री..जो म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)...वर्ष.....................................के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती...का/की पुत्र/पुत्री है, जो दिनांक 1 जनवरी , 2013 अथवा उसके पूर्व की तिथि...से मध्यप्रदेश में स्थित...विभाग में..पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी है।

स्थानः ....   **कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर ....**
दिनांकः ....   **नाम एवं पद..**

(कार्यालय सील)

प्रारूप-9

(देखे नियम 1.8.4)

मध्यप्रदेश में पुर्नव्यवस्थापन संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.................................. दिनांक......../........./............

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. जो म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).. वर्ष.......................................के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती.. का/की पुत्र/पुत्री है, जो...योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पुर्नव्यवस्थापन योजना (Resettlement scheme) है।

स्थानः .... हस्ताक्षर: कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

दिनांकः .... (कार्यालय सील)

<u>एन.आर.आई प्रमाण पत्र प्रारूप-10</u>

(देखें नियम 1.7.3)

The candidate must submit the following NRI certificate from his/her parents duly authenticated by the Indian Embassy / High Commission of the country concerned alongwith the application

-NRI CERTIFICATE-

I hereby propose Ms./Mr.. who is my Daughter /Son for admission to B.Sc.(Agriculture)/B.Sc.(Horticulture)/B.Sc.(Forestry) / B.Tech.(Agril. Engg.) degree programme for the academic session **2025-26** in JNKVV, Jabalpur/ RVSKVV, Gwalior against the seat reserved for the Non Resident Indian (NRI).

I undertake that if my Daughter/Son named above is selected for admission, I promise to deposit fees prescribed for NRI student.

I am holding NRI Passport No.................................. Place of issue.................................. Place of residence..Address....
....

Signature of Non Resident Indian

Name

प्रारूप-11

(देखें नियम 1.8.7)

प्रारुप - कार्यरत किसान का प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.................. दिनांक / /

(1) यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/प्रत्याषी का नाम.. के माता/पिता श्रीमती/श्री.. वास्तविक, कार्यरत स्थाई किसान है उनके पास... .... हेक्टेयर......................... गॉव.. .. .. तहसील.. जिला...राज्य मध्यप्रदेश में है। वे कार्यरत वास्तविक कृषक है तथा इनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर निर्भर है तथा वे खेती के अरिरिक्त नौकरी या अन्य पेशे में संलग्न नहीं है।

तहसीलदार

(2) यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/प्रत्याशी का नाम.. ने 5वी, 8वी, 10वी, एवं 12वी कक्षाओं में से निम्न दो कक्षाओं का अध्ययन नियमित छात्र के रुप में ग्रामीण क्षेत्र की निम्न शालाओं में किया/अथवा स्वाध्यायी छात्र के रुप में निम्न 2 परीक्षाए; ग्रामीण क्षेत्र की निम्न परीक्षा केन्द्रों से उत्तीर्ण की है।

शाला का नाम एवं स्थान/ परीक्षा केन्द्रों का नाम (कोई दो)

1. 5वी कक्षा (प्राथमिक) ....
2. 8वी कक्षा (माध्यमिक) ....
3. 10वी कक्षा (मैट्रिक/हाई स्कूल) ....
4. 12वी कक्षा (उच्चतर माध्यमिक) ....

स्थानः-...

दिनांकः-...

तहसीलदार/विकास खण्ड अधिकारी

प्रारूप-12 (भाग-अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक................................. दिनांक....../......./...........

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. जो म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).................................. वर्ष..................................
के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार
श्री/कुमारी...के पिता/माता है-

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे ....पद पर थे/थी उनका सर्विस क्रमांक.................................था।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में...पद पर सर्विस क्रमांक............... ....के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष............. में हो चुकी है।

स्थान: .... **जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर**

दिनांकः .... **(कार्यालय सील)**

प्रारूप-12(भाग-ब)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक.................................   दिनांक.............................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. जो म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).................................... ....वर्ष.......................
के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी...के पिता/माता है-

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना में ....ओहदे पर सर्विस क्रमांक...के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है वे इस इकाई में दिनांक.............................से सेवारत है।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में..के ओहदे पर सर्विस क्रमांक...के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है।

स्थान: ....   **हस्ताक्षर: आफिसर कमांडिंग**

दिनांकः ....   **(कार्यालय सील)**

प्रारूप - 13

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक................................. दिनांक......./......../............

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम)... जो म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)...वर्ष....................के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार से.................................पर (पाठ्यक्रम का नाम)...
पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी...के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से...(स्थान) तहसील.. जिला..में व्यवस्थापित हो गये है।

स्थानः .... **जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर**

दिनांकः .... **(कार्यालय सील)**

प्रारूप – 13 (अ)

(सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन एफ 07 -11 /2019/आ.प्र./एक, दिनाक 02 जुलाई 2019 का सलाग्नक)

मध्यप्रदेश शासन

कार्यालय का नाम ....आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या ....

वित्तीय वर्ष ....के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....

पुत्र/पति/पुत्री ....ग्राम/क़स्बा ....पोस्ट ऑफिस ....थाना ....तहसील ....

जिला ....राज्य .... पिन कोड ....

के स्थाई निवासी है, जिनका फोटोग्राफ निचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है क्योकि वित्तीय वर्ष ....में इनके परिवार कि कुल वार्षिक आय 08 लाख (आठ लाख रूपए मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित में निम्न्निधित में से कोई भी परिसंपत्ति नहीं है-

1. जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो (जिसके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि इस भूमि में शामिल नहीं होगी) ।
2. जिनके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो ।
3. जिनके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो ।
4. नगर परिषद् क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो ।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....जाति ....के सदस्य है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है ।

आवेदक का पासपोर्ट साइज़ का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर ....(कार्यालय का मुहर सहित)
पूरा नाम ....
पदनाम ....
अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार